राजनीतिक अवधारणा - स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय

स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय ये तीनों महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणाएँ हैं। इनका राजनीतिक दर्शन में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन धारणाओं के अभाव में राजनीतिशास्त्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। प्रत्येक राजनीति विचारक इन धारणाओं का अत्यधिक प्रयोग करता है। अतः इन धारणाओं के अर्थ, परिभाषा, प्रकार आदि का अध्ययन करना आवश्यक है।

★ स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा :-

स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय है 'लिबर्टी' (Liberty) जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'Liber' से हुई है, जिसका अर्थ है - 'बंधनों का न होना' अथवा 'Free' या 'Freedom'. किन्तु 'स्वतंत्रता' का सभी राजनीतिक विचारकों के लिए एक अर्थ नहीं है।
लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा एक वातावरण-विशेष की सुरक्षा के रूप में की है। लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है -, "the absence of restraint upon the existence are the necessary guarantees of individual happiness"
अराजकतावादियों का तथा व्यक्तिवादियों एवं Syndicalists का कहना है कि 'स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता आपस में विरोधी हैं।
Hobhouse ने कहा है, "The liberty of each must on the principle of common good, be limited by the right of all. In general, my rights are my liberties and in protecting my rights, the community serves my liberties."

स्वतंत्रता का नकारात्मक तथा सकारात्मक रूप :-

स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष का समर्थन करनेवाले विचारकों का विचार है कि स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य पर कोई अनुचित प्रतिबंध का न होना।
सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के अनुसार, स्वतंत्रता का मूल तत्व केवल आंतरिक तथा बाह्य प्रतिबन्धों का अभाव ही नहीं है, वरन् इसमें "अन्तिम उद्देश्य" की प्राप्ति की इच्छा निहित रहती है। जिसकी समझ केवल विकसित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती है। लास्की स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को मानते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है "उचित अवसरों की प्राप्ति"
इस प्रकार, स्वतंत्रता का अर्थ है अनुचित प्रतिबन्धों का अभाव ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके।

स्वतंत्रता के प्रकार :-

(i) प्राकृतिक स्वतंत्रता (Natural Liberty) - यह मनुष्य की अपनी इच्छा से कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता अथवा छूट यथार्थ नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए कोई गारण्टी देने वाला नहीं है।

(ii) सामाजिक अथवा नागरिक स्वतंत्रता (Social & Civil Liberty) यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को समाज में रहते हुए प्राप्त होती है। इसका संबंध मनुष्य के उन अधिकारों से है जिनका उपयोग वह समाज द्वारा मर्यादित कानूनों में रहकर करने में है। स्वतंत्रता का यह रूप अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं का आधार है।

(क) राजनीतिक स्वतंत्रता :- (Political Liberty). राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय ऐसे अधिकारों से है जो एक नागरिक को राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत अनेक राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं :- मतदान का अधिकार, समाचार प्राप्त करने का अधिकार आदि।

(ख) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Liberty) - इसका अर्थ है, "प्रत्येक प्राणी को जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा एवं सुविधा प्राप्त हो" इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उचित काम का अधिकार मिले, उचित वेतन मिले आदि।

(ग) पारिवारिक स्वतंत्रता (Domestic Liberty) - यह विवाह कर परिवार बसाने की स्वतंत्रता है तथा बीबी और बच्चे को समाज में उचित स्थान दिलाने का अधिकार है।

(घ) राष्ट्रीय स्वतंत्रता (National Liberty) - यह विदेशी आधिपत्य से मुक्त रहने का अधिकार है, देशभक्ति के प्रदर्श का अधिकार।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता (International Liberty) यह युद्ध का परित्याग करने का अधिकार है। यह निरस्त्रीकरण की स्वतंत्रता है तथा विश्व में शांति फैलाने का अधिकार है।

(च) व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) इसका अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्णरूपेण विकास की स्वतंत्रता।

(iii) नैतिक स्वतंत्रता (Moral Liberty) यह व्यक्ति का अपने अन्तःकरण के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है।

स्वतंत्रता के संरक्षण :-

(1) स्वतंत्रता को कई प्रकार से संरक्षित किया जाता है। राष्ट्र की कानूनी व्यवस्था स्वतंत्रता की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।

(2) स्वतंत्रता की रक्षा देश के संविधान द्वारा भी होती है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा रहती है।

(3) स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

(4) प्रेस की स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का आवश्यक संरक्षण करती है।

(5) लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था में भी स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

(6) स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक है "लोगों की जागरूकता"।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण है, "लोगों का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम" ।

★ समानता का अर्थ एवं परिभाषा :-

साधारण भाषा में समानता का अर्थ है "समाज में सभी व्यक्तियों का समान दर्जा हो तथा सबको समान सुविधाएँ मिले। लास्की का कथन है, "समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन मिले। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा।

समानता के रूप : समानता को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में व्यक्त किया

(i) नकारात्मक रूप - नकारात्मक रूप में समानता का अर्थ वर्ग विशेष के विशेषाधिकार को समाप्त करना है जो जन्म, सम्पत्ति, धर्म, अथवा रंग के आधार पर कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं।

(ii) सकारात्मक रूप :- सकारात्मक रूप वह है जिसके अनुसार राज्य के सभी व्यक्तियों को समान अवसर हो, सकारात्मक समानता केवल विशेषाधिकार की समाप्ति नहीं, वरन प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।

(iii) बार्कर (Barker) का कहना है, "समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाओं की प्राप्ति हो वैसी ही और उसी मात्रा में वे सुविधाएँ दूसरों को भी उपलब्ध हों तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए जाए वे मुझे भी अवश्य प्रदान हों।

समानता के प्रकार :-

(1) प्राकृतिक समानता (Natural Equality) :- प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। किन्तु, समानता का यह अर्थ अव्यवहारिक तथा आदर्श माना है।

(2) सामाजिक समानता (Social Equality) सामाजिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज की समान इकाई के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और उसमें जाति कुल, रंग अथवा धर्म के आधार पर भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

(3) राजनीतिक समानता (Political Equality) :- राजनीतिक समानता का अर्थ है, आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना, ताकि कुछ ही लोगों के हाथों में धन का संचय नहीं हो सके।

(4) आर्थिक समानता (Economic Equality) :- आर्थिक समानता का अर्थ है आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना ताकि कुछ ही लोगों के हाथ में धन का संचय न हो सके।

(5) कानूनी समानता (Legal Equality) - कानूनी समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनेगा और सब पर एक समान रूप से लागू होगा। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय समानता (International Equality) → इसका अर्थ है सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार। आर्थिक, भौगोलिक, सैनिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रों में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता का अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए।